

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)  
अधिसूचना

पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

संख्या-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-II)गृ0आ0..... / बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-4870, दिनांक 22.06.2016 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.10.2016 से 31.12.2016 तक (एक अक्टूबर दो हजार सोलह से एकतीस दिसम्बर दो हजार सोलह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /

(गिरीश मोहन ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञांपाक-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-II)गृ0आ0.....पटना, दिनांक सितम्बर, 2016  
प्रतिलिपि:- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-mail/fax

ह0 /

सरकार के अवर सचिव

ज्ञांपाक-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-II)गृ0आ0.....पटना, दिनांक सितम्बर, 2016  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 / प्रभारी ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 /

सरकार के अवर सचिव

ज्ञांपाक-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-II)गृ0आ0.....<sup>7456</sup>पटना, दिनांक<sup>15</sup> सितम्बर, 2016  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना / सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव